मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरूवार, दिनांक 19 फरवरी, 2026 (माघ 30, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 8 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 9) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 145 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 142 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. स्वागत उल्लेख

प्रश्नकाल के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की दर्शक दीर्घा में श्री कांतिलाल भूरिया, पूर्व केन्द्रीय मंत्री की उपस्थिति पर सदन की ओर से उनका स्वागत किया गया.

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

न्यायालय के समक्ष विचाराधीन विषय के संबंध में प्रश्न नहीं करने विषयक

प्रश्नकाल के दौरान तारांकित प्रश्न संख्या 7 जो कि इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में जलजनित बीमारी से प्रकोप की घटना से संबंधित है, पर अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि- मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमावली के नियम 36 (19) के अंतर्गत "उसमें साधारणतया ऐसे विषयों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, जो न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी सांविधिक न्यायाधिकरण या सांविधिक प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो". इस सबके बावजूद भी मैंने चर्चा के लिए सदन में आश्वासन दिया है और मैं उसको कराऊंगा.

मेरा अनुरोध है कि न्यायालय और आयोग की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए संक्षिप्त में प्रश्न करें. अनुपूरक प्रश्न को प्रस्तावना के रूप में नहीं होना चाहिए, न ही उसके द्वारा कोई निवेदन करना चाहिए अथवा सुझाव देना चाहिए. अनुपूरक प्रश्नों द्वारा जो जानकारी चाहिए, वह पूछना चाहिए, न कि स्वयं शासन को कोई जानकारी देना चाहिए. इसमें कोशिश यह करनी चाहिए कि प्रश्नकर्ता की ओर से भी ऐसा कोई विषय न आए, जिससे न्यायालय के सामने जो विषय विचाराधीन है, वह प्रभावित हो और सरकार की तरफ से भी उत्तर में ऐसी बात नहीं आना चाहिए, जिससे जांच प्रभावित हो.

इस दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल तथा डॉ.सीतासरन शर्मा, सदस्य द्वारा भी अपने-अपने उद्गार व्यक्त किए जाने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा मत व्यक्त किया गया कि आपकी बात ठीक है, मैंने नियमों, पुराने दृष्टान्तों और परम्पराओं को भी देखा है और उसके बाद भी हम सब लोगों को यह निश्चित रूप से चिंता करनी चाहिए कि जो माननीय न्यायालय की मर्यादा है, वह हमारे किसी भी वक्तव्य से प्रभावित न हो. सत्ता पक्ष भी, प्रतिपक्ष भी और माननीय सदस्य भी इस बात का ध्यान रखें.

4. गर्भगृह में प्रवेश, धरना एवं नारेबाजी

तारांकित प्रश्न संख्या 7 पर चर्चा के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनेक सदस्यगण मंत्रियों के इस्तीफे की मांग करते हुये गर्भगृह में आए और नारेबाजी की गई.

कुछ ही देर उपरांत सत्ता पक्ष के भी अनेक सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में आकर नारेबाजी की जाने लगी.

व्यवधान की स्थिति निर्मित हो जाने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.52 बजे से 10 मिनट के लिये स्थगित की जाकर अपराह्न 12.07 बजे पुन: समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनेक सदस्यगण गर्भगृह में धरने पर बैठकर नारेबाजी करते रहे.

5. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन निम्नलिखित सूचनायें पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र नरियावली के ग्रामीण क्षेत्र में हेण्डपंप स्थापन के कार्य में विलंब किये जाने,

(2) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने नर्मदापुरम् में कार्यरत कर्मचारी की कोरोना में मृत्यु उपरांत पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति न दिये जाने,

(3) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य ने प्रदेश में बी. फार्मा एवं डी. फार्मा के फार्मासिस्टों का रजिस्ट्रेशन न हो पाने से उत्पन्न स्थिति,

(4) श्री मोहन सिंह राठौर, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र भितरवार में निर्मित सडकों की साईड न भरने से उत्पन्न स्थिति,

(5) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान, सदस्य ने नागदा-खाचरौद सहित जिले की विभिन्न सडके केबल लाईन डालने से क्षतिग्रस्त होने,

(6) श्री सुरेश राजे, सदस्य ने डबरा में कन्या महाविद्यालय खोलने संबंधी,

(7) श्री विजयपाल सिंह, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र सोहागपुर के ग्रामों में नल-जल योजना की जांच करा कर संबंधितों पर कार्यवाही की जाने,

(8) श्री अभिजीत शाह, सदस्य ने मनरेगा योजनान्तर्गत खेल सडक योजना/सुदूर सडक योजना के तहत सडक निर्माण किये जाने,

(9) श्री विवेक (विक्की) पटेल, सदस्य ने वारासिवनी अंतर्गत शासकीय एस.एस.पी. महाविद्यालय में भौतिक शास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास तथा वाणिज्य विषय प्रारंभ किये जाने एवं

(10) श्री अजय विश्नोई, सदस्य ने जबलपुर प्राथमिक स्वा. केन्द्र कटंगी में 108 एम्बुलेन्स के अभाव से उत्पन्न स्थिति.

पुन: व्यवधान की स्थिति निर्मित होने पर विधान सभा की कार्यवाही अपराह्न 12.10 बजे से 02.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाकर अपराह्न 02.01 बजे पुन: समवेत हुईं.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त),** मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) के अंतर्गत बनाये गये नियम, 2006 के नियम 9 के अंतर्गत अनुपालन एवं पुनर्विलोकन रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2021-2022 एवं 2022-2023 पटल पर रखी गईं.

(2) **श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री,** मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 27 की उपधारा (5) के अधीन बनाये गये सहपठित मध्यप्रदेश नियम, 2002 के नियम 270 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखा गया.

(3) **श्रीमती संपत्तिया उइके, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखा गया.

(4) **श्री चेतन्य कुमार काश्यप, खनिज साधन मंत्री (डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत), -**

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल) की 63वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2024-2025, तथा

(ख) खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला-मुरैना, बालाघाट, सीहोर एवं बड़वानी का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 एवं जिला शाजापुर, छतरपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, धार, इंदौर एवं शहडोल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 पटल पर रखे गए.

(5) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री,** महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 (क्रमांक 37 सन् 1995) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखा गया.

(6) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –

(क) मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024-2025, तथा

(ख) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 23 वां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024-2025 पटल पर रखे गए.

7. गर्भगृह में प्रवेश

पत्रों के पटल पर रखे जाने के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर गर्भगृह में आए

व्यवधान की स्थिति निर्मित होने पर विधान सभा की कार्यवाही अपराह्न 02.07 बजे से 15 मिनट के लिये स्थगित की जाकर अपराह्न 02.38 बजे पुन: समवेत हुईं.

{सभापति महोदय (श्री अजय विश्नोई) पीठासीन हुए}

8. गर्भगृह में प्रवेश एवं नारेबाजी

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में खडे होकर नारेबाजी की जाती रही.

व्यवधान की स्थिति निर्मित होने पर विधान सभा की कार्यवाही अपराह्न 02.40 बजे से 15 मिनट के लिये स्थगित की जाकर अपराह्न 02.58 बजे पुन: समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

9. ध्यानाकर्षण

(1) **सर्वश्री अजय विश्नोई, सदस्य** ने जबलपुर जिलान्तर्गत नगरीय निकायों द्वारा घर-घर नर्मदा जल पहुँचाने की नवीन योजना के कार्यों में व्याप्त अव्यवस्थाओं की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. नीरज सिंह ठाकुर सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया।

10. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक गुरूवार, दिनांक 18 फरवरी, 2026 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित कार्यों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिशें की गई हैं :-

कार्य	आवंटित समय
वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा	4 घण्टे

वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों की विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए प्रस्तावित समय

क्र.	प्रस्तावक मंत्री	मांग संख्या का विवरण	आवंटित समय
1 .	डॉ.मोहन यादव ,मुख्यमंत्री	001 -सामान्य प्रशासन 002 -विमानन 003 -गृह 004-पर्यावरण 005- जेल 010-वन 011-औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन 021- लोक सेवा प्रबंधन 025- खनिज साधन 029- विधि और विधायी कार्य 032- जनसंपर्क	2 घण्टा 30 मिनिट

		041- प्रवासी भारतीय 046- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 048- नर्मदा घाटी विकास 052- आनंद	
2 .	श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री	006 -वित्त 007 -वाणिज्यिक कर 031- योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	30 मिनिट
3 .	श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री	019 -लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	1 घण्टा 30 मिनिट
4 .	डॉ. कुंवर विजय शाह, मंत्री	033 -जनजातीय कार्य 042 -भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास 045 -लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन	1 घण्टा 30 मिनिट
5 .	श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री	022 -नगरीय विकास एवं आवास 028- राज्य विधान मण्डल	2 घण्टे
6.	श्री प्रहलाद सिंह पटेल ,मंत्री	018 -श्रम 030 -ग्रामीण विकास 040- पंचायत	1 घण्टा
7 .	श्री राकेश सिंह, मंत्री	024- लोक निर्माण कार्य	1 घण्टा 30 मिनिट
8 .	श्री करण सिंह वर्मा, मंत्री	008 -भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	30 मिनिट
9.	श्री उदय प्रताप सिंह, मंत्री	027 -स्कूल शिक्षा 036- परिवहन	1 घण्टा 30 मिनिट
10.	श्रीमती संपतिया उइके, मंत्री	020 -लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	30 मिनिट
11.	श्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री	023 -जल संसाधन	30 मिनिट
12.	श्री एदल सिंह कंषाना, मंत्री	013- किसान कल्याण तथा कृषि विकास	30 मिनिट
13.	सुश्री निर्मला दिलीप सिंह भूरिया, मंत्री	055 -महिला एवं बाल विकास	30 मिनिट
14.	श्री गोविन्द सिंह राजपूत, मंत्री	039 -खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	30 मिनिट
15.	श्री विश्वास सारंग, मंत्री	043 -खेल और युवा कल्याण 017- सहकारिता	30 मिनिट
16.	श्री नारायण सिंह कुशवाह, मंत्री	034 -सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण 050- उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	30 मिनिट
17.	श्री नागर सिंह चौहान, मंत्री	049- अनुसूचित जाति कल्याण	15 मिनिट
18.	श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री	012 -ऊर्जा	1 घण्टा
19.	श्री राकेश शुक्ला, मंत्री	009 -नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	15 मिनिट
20.	श्री चेतन्य कुमार काश्यप, मंत्री	035 -सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	15 मिनिट
21.	श्री इन्दर सिंह परमार, मंत्री	044 -उच्च शिक्षा 038 -आयुष 047- तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं	30 मिनिट

		रोजगार	
22.	श्रीमती कृष्णा गौर ,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	015 -घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति 053 -अल्प संख्यक कल्याण 054- पिछड़ा वर्ग कल्याण	30 मिनिट
23.	श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी , राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	026 -संस्कृति 037- पर्यटन 051- धार्मिक न्यास और धर्मस्व	1 घण्टा 30 मिनिट
24.	श्री दिलीप जायसवाल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	056 -कुटीर एवं ग्रामोद्योग	30 मिनिट
25.	श्री लखन सिंह पटैल ,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	014- पशुपालन एवं डेयरी	30 मिनिट
26.	श्री नारायण सिंह पंवार ,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	016- मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	15 मिनिट

दिनांक समिति द्वारा यह भी सिफारिश की गई कि- दिनांक 23 फरवरी से 27 फरवरी तथा 5 मार्च 2026 तक सभा की बैठकों में भोजनावकाश न रखा जाए.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जिन कार्यों के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाईं, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ

तदुपरांत अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि अभी सदन में कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ जिसमें वर्ष 2026-2027 की आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर मान. मंत्रियों को आवंटित विभिन्न विभाग समूह अनुसार चर्चा हेतु समय का आवंटन किया गया है.

कार्य मंत्रणा समिति में वन, खनिज, पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक निर्माण कार्य, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संस्कृति तथा पर्यटन विभागों की अनुदानों की मांगों पर विस्तृत चर्चा कराये जाने की सहमति व्यक्त की गई थी.

अतः मेरा मान. सदस्यों से अनुरोध है कि वह उक्त विभागों की अनुदान की मांगों पर मुख्यरूप से चर्चा में भाग ले.

11. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(2) **सर्वश्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य** ने जिला अनूपपुर के शासकीय स्नातक महाविद्यालय, पुष्पराजगढ़ के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य द्वारा छात्र-छात्राओं से ली गई शुल्क राशि का निजी उपयोग किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री, इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. श्री जयवर्द्धन सिंह सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया.

12. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

इंजीनियर प्रदीप लारिया,सभापति द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार,दिनांक 20 फरवरी,2026 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-

सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प	शुक्रवार दिनांक 20 फरवरी,2026	निर्धारित समय
1. (क्रमांक-02)	डॉ. सीतासरन शर्मा	30 मिनट
2. (क्रमांक-08)	डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह	30 मिनट
3. (क्रमांक-11)	श्रीमती अर्चना चिटनीस	30 मिनट

इंजीनियर प्रदीप लारिया ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सप्तम् प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) **श्री ओमप्रकाश धुर्वे, सभापति** ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का कार्यान्वयन से संबंधित नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

13. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार आज की कार्य सूची में सम्मिलित 1 से 80 तक की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं.

(1) **श्री मोंटू सोलंकी (जिला-**बड़वानी)
(2) **श्री राजेन्द्र भारती (जिला-**दतिया)
(3) **डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-**धार)
(4) **श्री कैलाश कुशवाहा (जिला-**शिवपुरी)
(5) **श्री मधु भगत (जिला-**बालाघाट)
(6) **श्री प्रहलाद लोधी (जिला-**पन्ना)
(7) **श्री अनिल जैन (निवाड़ी) (जिला-**निवाड़ी)
(8) **श्री उमाकांत शर्मा (जिला-**विदिशा)
(9) **श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-**धार)
(10) **श्री विपीन जैन (जिला-**मंदसौर)**(जिला-**नीमच)
(11) **श्री मोहन सिंह राठौर (जिला-**ग्वालियर)
(12) **श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-**अनूपपुर)
(13) **श्री केदार चिड़ाभाई डावर (जिला-**खरगोन)
(14) **श्री पंकज उपाध्याय (जिला-**मुरैना)
(15) **श्री दिनेश गुर्जर (जिला-**मुरैना)
(16) **श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-**अनूपपुर)**(जिला-**शहडोल)
(17) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-**निवाड़ी)**(जिला-**टीकमगढ़)
(18) **इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-**सागर)
(19) **डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-**हरदा)
(20) **श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-**टीकमगढ़)
(21) **श्री विक्रम सिंह (जिला-**सतना)
(22) **श्री आतिफ आरिफ अकील (जिला-**भोपाल)
(23) **डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान (जिला-**उज्जैन)

(24) सुश्री रामश्री राजपूत (बहिन रामसिया भारती)(जिला-छतरपुर)
(25) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(26) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-बालाघाट)
(27) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(28) श्री अरूण भीमावद (जिला-शाजापुर)
(29) श्री दिनेश राय मुनमुन (जिला-सिवनी)
(30) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिंदवाड़ा)
(31) श्री केशव देसाई (जिला-भिण्ड)(जिला-विदिशा)
(32) श्री अभय मिश्रा (जिला-रीवा)
(33) श्री सुनील उईके (जिला-छिन्दवाड़ा)
(34) श्री मथुरालाल डामर (जिला-रतलाम)
(35) श्री राजन मण्डलोई (जिला-बड़वानी)
(36) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(37) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)
(38) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी (जिला-शाजापुर)
(39) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-कटनी)
(40) श्री राजेश कुमार शुक्ला (जिला-छतरपुर)
(41) श्री लखन घनघोरिया (जिला-जबलपुर)
(42) श्री प्रदीप पटेल (जिला-मऊगंज)
(43) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(44) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला-पन्ना)
(45) श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-पन्ना)
(46) श्रीमती छाया गोविन्द मोरे (जिला-खण्डवा)
(47) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(48) श्री भैरो सिंह बापू (जिला-शाजापुर)(जिला- आगर-मालवा)
(49) श्री दिनेश जैन बोस (जिला-उज्जैन)
(50) श्री बृज बिहारी पटैरिया (जिला-सागर)
(51) श्री वीरसिंह भूरिया (जिला-झाबुआ)
(52) श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला-अलीराजपुर)
(53) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू (जिला-नीमच)
(54) श्री कमलेश्वर डोडियार (जिला-रतलाम)
(55) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला-सागर)
(56) श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला-छतरपुर)
(57) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
(58) श्री हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
(59) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार (जिला-मुरैना)
(60) श्रीमती मनीषा सिंह (जिला-शहडोल)
(61) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-टीकमगढ़)
(62) श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला-शिवपुरी)
(63) श्री उमंग सिंघार (जिला-सतना)
(64) कुँवर अभिजीत शाह (जिला-हरदा)
(65) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)

(66) **श्री विवेक विक्की पटेल (जिला-**बालाघाट)
(67) **डॉ. अभिलाष पाण्डेय (जिला-**जबलपुर)
(68) **श्री फूलसिंह बरैया (जिला-**दतिया)
(69) **श्री श्याम बरडे (जिला-**बड़वानी)
(70) **श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-**ग्वालियर)
(71) **श्री देवेन्द्र पटेल (जिला-**रायसेन)
(72) **श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-**सीहोर)
(73) **श्री गौरव सिंह पारधी (जिला-**बालाघाट)
(74) **श्री नारायण सिंह पट्टा (जिला-**मंडला)
(75) **श्री सचिन बिरला (जिला-**खरगोन)
(76) **श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी (जिला-**मैहर)
(77) **श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-**कटनी)
(78) **श्री राजकुमार मेव (जिला-**खरगोन)
(79) **श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-**सिवनी)
(80) **श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा (जिला-**नर्मदापुरम)

14. वक्तव्य

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) ने मंत्रिपरिषद् में आबकारी नीति वर्ष 2026-2027 के संबंध में वक्तव्य दिया.

15. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

(24) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को

{सभापति महोदय (श्री अजय विश्नोई) पीठासीन हुए}

(25) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(26) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(27) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे
(28) श्री आशीष गोविन्द्र शर्मा

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

(29) श्री कमलेश्वर डोडियार
(30) श्री उमंग सिंघार (नेता प्रतिपक्ष)

16. गर्भगृह में प्रवेश एवं नारेबाजी

सत्ता पक्ष और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण अपनी-अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आए और नारेबाजी की गई.

व्यवधान की स्थिति निर्मित होने पर विधान सभा की कार्यवाही अपराह्न 05.00 बजे से 10 मिनिट तक के लिये स्थगित की जाकर अपराह्न 05.13 बजे पुन: समवेत हुई.

{सभापति महोदय (श्री अजय विश्नोई) पीठासीन हुए}

पुन: व्यवधान की स्थिति निर्मित होने पर विधान सभा की कार्यवाही अपराह्न 05.14 बजे से 15 मिनिट तक के लिये स्थगित की जाकर अपराह्न 05.27 बजे पुन: समवेत हुई.

{सभापति महोदय (श्री अजय विश्नोई) पीठासीन हुए}

17. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक

सभापति महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

पुन: व्यवधान की स्थिति निर्मित होने पर विधान सभा की कार्यवाही अपराह्न 05.29 बजे से 15 मिनिट तक के लिये स्थगित की जाकर अपराह्न 06.11 बजे पुन: समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

18. अध्यक्षीय व्यवस्था

सदन में निर्मित अप्रिय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि – हम सभी अपने-अपने क्षेत्रों से जीतकर जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये यहां पर आये हैं और विभिन्न नियमों के माध्यम से यही कोशिश होती है कि सदन का अधिकाधिक उपयोग जनहित में हो. हम सभी इस बात को जानते हैं कि किसी भी सदन के संचालन और उसको पूर्णता तक पहुंचाने के लिये नियम प्रक्रिया बनाई गई हैं और उसी के अनुसार निश्चित रूप से हम सबको चलना होता है, तभी संचालन की सारी गतिविधियां ठीक प्रकार से पूर्ण हो पाती है. आज दुर्भाग्य से थोड़ी असहज स्थिति बन गई. मध्यप्रदेश विधानसभा की बहुत ही गौरवशाली पंरपरा हमेशा रही है, दोनों पक्षों ने सभी परिस्थितियों को समझा है और सदन का गौरव निरंतर बढ़ता रहे, इस बात का प्रयत्न सभी पक्षों की ओर से सभी सदस्यों की ओर से हमेशा होता रहा है और पिछले दिनों भी हम सभी लोग अनेक बार परिस्थितियां आईं, लेकिन सभी ने समझ से रास्ता बनाया और हम आगे बढ़े हैं. आज जो असहज स्थिति बनी, मुझे पटवा जी का एक वाक्य याद आता है, पटवा जी हमेशा कहा करते थे कि सदन में बात रखते समय गुस्सा दिखना चाहिए, लेकिन गुस्सा आना नहीं चाहिए, गुस्सा दिखना आवश्यक है, लेकिन अगर गुस्सा आयेगा तो बात भी बिगड़ जायेगी और बात रखने का तरीका भी बिगड़ जायेगा और सदन की मर्यादा भी भंग होगी, तो मैं समझता हूं कि गुस्सा आना नहीं चाहिए, लेकिन आज दोनों पक्षों की तरफ से गुस्सा आ गया और उसके कारण यह असहज स्थिति आज बनी है, इसका निश्चित रूप से मुझे भी बहुत रंज है और सभी माननीय सदस्यों को रंज होगा. सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लोकतंत्र के दोनों मजबूत पहिये हैं एक अकेला साथ चले तो नहीं चल सकते हैं, इसलिए जो भी परिस्थिति बनी, मैं समझता हूं कि पक्ष भी उसके लिये जिम्मेवार है और प्रतिपक्ष भी उसके लिये जिम्मेवार है. हमारे नेता प्रतिपक्ष भी बहुत ही वरिष्ठ और माननीय सदस्य हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी भी बहुत

अनुभवी हैं और अनुभवों से एक तौर से लदे हुए हैं, लेकिन फिर भी आज सीमा कैसे टूट गई है, यह हम सब लोगों के लिये चिंता का विषय है, इसलिए मैं सभी सदस्यों से पक्ष और विपक्ष सबसे यह आग्रह करूंगा कि इस विषय का हम लोग यहीं पटाक्षेप करें और दोनों लोग अपनी-अपनी जिम्मेवारी को समझकर अपना वक्तव्य दें और सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ायें.

19. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण (क्रमश:)

डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर दिया गया.

20. अध्यक्षीय व्यवस्था

आपत्तिजनक शब्दों के विलोपन संबंधी

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि – आज की कार्यवाही में नोंकझोंक के दौरान कहीं भी कोई आपत्तिजनक शब्द आये होंगे तो मैं कार्यवाही का अवलोकन करूंगा और उसके बाद जो अनुकूल नहीं होगा, उसको विलोपित कर दूँगा.

अपराह्न 08:28 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी, 2026 (1 फाल्गुन, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल
दिनांक: 19 फरवरी, 2026